HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 5391/2026
CNR: RJHC020787372026 | URN: CRLMP / 12920U / 2026

Shankar Lal Jat S/o Kalu Ram, Aged About 27 Years, R/o- Tahtra Banskho, Bassi (East) Jaipur City (Raj.) Vehicle No. Rj29Ga9629

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Mining Engineer, Tonk Through Mining Department District Tonk (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashok Yadav with Mr. Satish Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

08/09/2026

याची की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 के तहत विचारण न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई द्वारा प्रकरण संख्या–629/2026 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा याची/प्रार्थी द्वारा वाहन सुपुर्दगी के संबंध में प्रस्तुत आवेदन 503 बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि याची द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी/अपील न्यायालय में कोई निगरानी पेश किए बिना सीधे ही उच्च न्यायालय के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

योग्य अधिवक्ता याची का निवेदन है कि उन्हें निगरानी न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने की अनुमति एवं निगरानी न्यायालय को

निगरानी का शीघ्र निस्तारण किए जाने बाबत् निर्देश दिए जाने का निवेदन किया।

सुना गया।

प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों एवं योग्य अधिवक्ता याची के निवेदन को देखते हुए याची की ओर से प्रस्तुत यह याचिका अंतर्गत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 निरस्त की जाती है तथा योग्य अधिवक्ता याची को विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जाती है, साथ ही उनके निवेदन अनुसार निगरानी/अपील न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि याची द्वारा निगरानी पेश किए जाने पर प्रस्तुत निगरानी याचिका पर दोनों पक्षों को सुनकर निगरानी याचिका का विधिनुसार शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करें।

उक्त याचिका इसी अनुसार निस्तारित की जाती है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

112/MANOJ ADWANI